रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 7, 2007/फाल्गुन 16, 1928

No. 97] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 7, 2007/PHALGUNA 16, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2007

सा.का.नि. 181(अ).—दिनांक 4-10-2006 की सा.का.नि. 617(अ) के तहत इस मंत्रालय की अधिसूचना के हिन्दी रूपान्तर के पैरा 4(i), 4(ii), 4(iii), 5(iv), 7(ii) और 7(iv) में निम्नलिखित प्रति स्थापित किया जाये।

पैरा सं.	के स्थान पर	पढ़ा जाए
4 (i)	..... किसान लायसेंसशुदा क्षेत्र से कम किसी भी क्षेत्र में खेती कर सकते हैं।	..... किसान लायसेंस शुदा क्षेत्र से कम क्षेत्र में खेती कर सकते हैं।
4 (ii)	.....दो भूखण्डों से अधिक में अफीम पोस्त की बुआई नहीं सकता है।	..... दो भू-खण्डों से अधिक में अफीम पोस्त की बुआई नहीं कर सकता है।
4 (iii)	..... अनुसंधान संस्थानों को 10 आरी से अधिक क्षेत्र खेती की अनुमति दे सकते है।	..... अनुसंधान संस्थानों को 10 आरी से अधिक क्षेत्र में अफीम फसल बोने की अनुमति दे सकते हैं।
5 (iv)	..... तथा जिसे राजकीय अफीम ऐवं क्षारोद कार्यशाला, नीमच तथा गाजीपुर	..... तथा जिसे राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्यशाला, नीमच अथवा गाजीपुर .....
7 (ii)	..... बशर्ते उसने अगले वर्ष के दौरान निर्धारित उपज प्रस्तुत की हो, ...	..... बशर्ते उसने निर्धारित उपज प्रस्तुत की हो, ...
7 (iv)	..... राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्यशाला, नीमच तथा गाजीपुर में किए गए	..... राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्यशाला, नीमच अथवा गाजीपुर में किए गए .....

[फा. सं. 616/1/2006-स्वापक नियंत्रण-I]

रोहताश सिंह, अवर सचिव

765 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.